

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 551/2026

In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No.2545/2022

Gurucharan Urf Babloo S/o Yadram, R/o Village Nayamadpur Nangla, Police Station Halena, District Bharatpur, Rajasthan. (At Present Under Judicial Custody Central Jail, Sevar District Bharatpur Raj)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. R.B. Sharma Ganthola
For Respondent(s)	: Mr. Devi Singh, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/04/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त गुरुचरण उर्फ बबलू की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—अपर सेशन न्यायाधीश, कम संख्या—05, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा सेशन प्रकरण संख्या—05/2022, सी0आई0एस0 नंबर 2619/2014, राजस्थान राज्य बनाम गुरुचरण व अन्य में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 23.09.2022 के विरुद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को प्रकरण में अधिकतम पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया किया गया है, उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण दिनांक 27.06.2014 से दिनांक 07.10.2014 तक अभिरक्षा में रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक से 23.09.2022 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण में उसकी अभिरक्षा अवधि करीब साढ़े तीन वर्ष से अधिक की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के पर्याप्त एवं सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को प्रकरण में 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त साढ़े तीन वर्ष से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की उपरोक्त अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस

न्यायालय में दिनांक **01.06.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **गुरुचरण उर्फ बबलू पुत्र श्री यादराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J